मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 29/2025	प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तिथि	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
दिनांक 31.12.2025	16.04.2026	09.02.2026

राज्य सेवा परीक्षा 2026

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26.04.2026

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2026 को से दिनांक 09.02.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें, ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो । अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा हेतु विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की निम्नानुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है :-

दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 16.02.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 3000/-
दिनांक 17.02.2026 से दिनांक 01.04.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 25000/-
नोट :- विलम्ब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50/- रहेगा । त्रुटि-सुधार केवल 01.04.2026 तक किया जा सकेगा ।	

3. राज्य सेवा परीक्षा 2026 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी ।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -।।। का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा “Payment Done” स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित किए गए शुल्क के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2026 से 11.02.2026 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा । विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के 15 दिवस पूर्व तक त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-।।।) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी जैसे - शैक्षणिक अर्हता, श्रेणी, मूल/स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि परीक्षा के किसी भी स्तर पर आयोग के संज्ञान में आती है तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त करते हुए विवर्जित (debar) किया जाएगा ।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता - राज्य सेवा परीक्षा 2026 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।

नोट :-

1. शैक्षणित अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होनी आवश्यक है तथा शेष अन्य अर्हताएं जैसे - मूल/स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष) आदि प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 तक जारी किए हुए होना आवश्यक है ।
2. बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों हेतु भी उक्त अंतिम तिथि तक समस्त अर्हता अर्जित होना अनिवार्य है ।

2. यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होने पर भी आवेदन किया जाता है और आयोग के संज्ञान में किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होते हुए भी आवेदन किया गया है तो आवेदक को आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा । इस हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता संबंधित दस्तावेजों को आयोग द्वारा चयन के किसी भी स्तर पर निर्धारित तिथि का उल्लेख कर आमंत्रित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक अर्हता संबंधित दस्तावेज आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है ।

3. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्यु प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है ।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा।

(ग) मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, को निम्नातनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :-

- शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
- अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र ।

उपरोक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्नत करना अनिवार्य होगा ।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता /अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26.04.2026 को दो सत्रों में जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 16.04.2026 से www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड

हेतु उपलब्ध रहेंगे।

2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु व्यय प्रतिपूर्ति का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है । अतएव इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर ही व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी । किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम - 2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।

2. चयन / परीक्षा के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। पूर्णरूपेण अंतिम चयन परिणाम (मुख्य तथा प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम) घोषित होने के बाद ही अभ्यर्थियों के तथा समस्त श्रेणियों के प्रावधिक मुख्य परीक्षा के कटऑफ तथा साक्षात्कार से संबंधित Score Card आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे ।

3. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के कटऑफ अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांकों से संबंधित जानकारी पूर्णरूपेण अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

4. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।

5. चयन परिणाम/ विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम/ विज्ञापन को सुधारने तथा विलोपित/निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।

6. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के अभ्यावेदनों को मान्य नहीं किया जाएगा।

5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP 8764/2023, WP5596/2024 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

6. विनिष्टीकरण : न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित अन्य समस्त दस्तावेज पूर्णरूपेण अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद विनिष्टीकृत कर दिए जाएंगे । जिसे फिर किसी स्वरूप में प्रदाय नहीं किया जा सकेगा ।

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों से प्राप्त होने वाले सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित अभ्यावेदन पूर्ण अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे ।

2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है । अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग से किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा । सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः यह

उल्लेख किया जाता है कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है। अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुँचाने का दावा किया जाता है जो व्यावहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/ पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				पदों की कुल संख्या	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD		
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
1	सामान्य प्रशासन विभाग																					
	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	4	3	4	5	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	4	3	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	गृह (पुलिस) विभाग																					
	उप पुलिस अधीक्षक	5	1	5	5	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	5	1	5	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3	वाणिज्य कर विभाग																					
	वाणिज्यिक कर अधिकारी	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	जिला पंजीयक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	सहकारिता विभाग																					
	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56100-177500
6	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																					
	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपाल अधिकारी,जनपद पंचायत)	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	4	2	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
8	विकास खण्ड अधिकारी	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
9	जनसंपर्क विभाग																					
	सहायक संचालक	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	जनजाति कार्य विभाग																					
10	जिला संयोजक / सहायक परियोजना प्रशासक / सहायक संचालक (प्रशासन)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
11	क्षेत्र संयोजक / विकास खण्ड अधिकारी	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग																					
12	सहायक संचालक, खाद्य/जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	महिला एवं बाल विकास विभाग																					
13	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
14	बाल विकास परियोजना अधिकारी (कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
15	विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी	12	6	8	10	3	4	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	12	6	8	5	3	4	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	
	प्रावधिक भाग (13%)	5*	0	0	5	0	2*	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
16	राजस्व विभाग																					
	नायब तहसीलदार	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	प्रावधिक भाग (13%)	0*	0	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																					
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
17	आबकारी उप निरीक्षक	0	2	1	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	मुख्य भाग (87%)	0	2	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
	प्रावधिक भाग (13%)	3*	0	0	3	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
18	उप पंजीयक	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
19	सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	4	2	3	5	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	36200-114800 (7th pay)
	मुख्य भाग (87%)	4	2	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
20	श्रम विभाग																					
	सहायक श्रम पदाधिकारी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	कुल पद	40	19	30	39	16	11	6	9	13	5	0	0	0	0	0	1	1	1	2	155	

Abbreviations
UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS – Economically Weaker Section
LD- Locomoter Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability

आरक्षण प्रकिया आरक्षण प्रकिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप :

अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा । जिसका पूर्णरूपेण जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा ।

स. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिय रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे । जिन पदों हेतु किसी श्रेणी / वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे । मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे । अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व "परिशिष्ट- III" बिन्दु 6 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडो के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

द. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य होना चाहिए।

इ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी) ।

टीप -

1. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकरण दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में जारी किया जाना है, इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87% (14% अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार प्रावधिक भाग 13% (अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण में उल्लेख किया गया है ।

2.उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध ।

<u>अत्यंत</u> <u>महत्वपूर्ण</u> :

विज्ञापन तिथि	:	31.12.2025
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	10.01.2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	09.02.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	15.01.2026
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि	:	11.02.2026
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि	:	16.04.2026
प्रारंभिक परीक्षा तिथि	:	26.04.2026
विलम्ब शुल्क 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	:	16.02.2026
विलम्ब शुल्क 25000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि		01.04.2026

- ➢ अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन करें ।
- ➢ त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवार्ड, अंतरजाति विवाह प्रोत्साहन योजना, लिंग (महिला/ पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

2. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे । ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे ।

3. विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 एवं उसमे यथासमय किए गए संशोधन में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धिपत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन-पत्रों के अभ्यर्थी पात्र रहेंगे । पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है ।

4. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

   ब. कोई भी अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक जीवित संताने हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है ।

5 परीक्षा योजना :-

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी -

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम.आर. आधारित)। प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मुल्यांकन (Negative Marking) किया जाएगा । अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें ।

(ब) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)।

(स) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण।

<u>राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।</u>

(2) (अ) प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी ।

(ब) इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

(स) प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/- रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(द) प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तकर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा ।
3 ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्यय किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यपवहार मान्य नहीं किया जाएगा । विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यंर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए परीक्षा के पूर्णांक यथावत रखे जाएंगे तथा जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन कर, प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में प्राप्तं अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का लघुसूचीकरण किया जाएगा ।

(3) अंतिम चयन परिणाम तैयार करते समय मेरिट तैयार करने हेतु प्रावधान -

(i) त्रि - स्तरीय / - द्वि-स्तरीय परीक्षाओं के लिए - मुख्य / लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में -
- लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के अंकों का योग
- उक्त अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अधिकतम वाले अंक
- उक्त अंक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता

(ii) दिव्यांगजनों हेतु विज्ञापित पदों पर दिव्यांजन श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, ऐसे दिव्यांजनों हेतु आरक्षित पदों को अन्य वर्गो से न भरते हुए उन्हें शासनादेश के परिपालन में अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों से रिक्त रखे जाने का प्रावधान है ।

(iii) महिलाओं / दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों को मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर सर्वप्रथम हॉरिजण्टल आरक्षण के विरूद्ध रिक्तियों में समायोजित किया जाकर गणना में लिये जाने का प्रावधान है ।

(iv) शासनादेश (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशानुसार - "आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों के विरूद्ध तभी समायोजित किया जाएगा जब वे हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के सामान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त करेंगे") के तहत अनारक्षित वर्गों की सीटों के आवंटन करते समय अनारक्षित वर्गों के साथ-साथ आरक्षित वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है जो अनारक्षित वर्गों के सामान आयु संबंधी / अंकों संबंधी किसी भी छूट / रियायत का लाभ न लेते हुए हर प्रकार से अनाक्षित वर्ग के समान पात्रता धारित करते हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को मेंरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित वर्गों की सीटों में समायोजित किए जाने का प्रावधान है ।

(v) इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों जिन्होंने आरक्षण संबंधी आयु/अंकों की रियायत संबंधी लाभ परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्राप्त करते हुए मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उन्हें आरक्षित वर्गों की सीटों पर ही चयनित किए जाने का प्रावधान है ।

(vi) मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के स्तर पर उक्त विज्ञापन अंतर्गत विज्ञापित पदों की ऑनलाइन अग्रमान्यता भरवाई जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अग्रमान्यता में दिए गए पदों की अग्रमान्यता के आधार पर मेंरिट गुणानुक्रम व अग्रमान्यता क्रम में से किसी एक पद पर मुख्य सूची में चयनित किए जाने एवं शेष अग्रमान्यताओं में से पूर्ववृती /पात्रतानुसार किसी एक पद की अनुपूरक सूची में चयनित किए जाने का प्रावधान है ।

(vii) अन्य प्रदेश के मूल निवासी महिला / भू.पू.सै. / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग मान्य करते हुए अनारक्षित ओपन पदों पर विचारित किए जाने का प्रावधान है ।

(viii) माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्णय के माध्यम से सम्मिलित अभ्यर्थियो को अंतिम चयन परिणाम में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखते हुए उनके अंतिम चयन परिणाम एवं प्राप्तांकों की जानकारी रोकी जाकर गोपनीय रखी जाती है जिसे माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात घोषित किए जाने का प्रावधान है ।

(ix) अनुपूरक सूची का प्रावधान -
विज्ञापित पदों का न्यूनतम 02 एवं अधिकतम 25 प्रतिशत तक की सीमा में वर्गवार वर्टिकल ओपन एवं हॉरिजेण्टल वर्गों के लिए पृथक-पृथक निर्धारित है तथा दिव्यांगजन का भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुपूरक सूची का प्रावधान है । किसी वर्ग में एक से अधिक पद है तो उक्त प्रावधान प्रावधानित है अन्यथा विज्ञापित पद संख्या 01 होने पर अनुपूरक सूची 01 ही रखे जाने का प्रावधान है जो कि विज्ञापित पद संख्या से अधिक नहीं हो सकती है ।

(x) उपरोक्त वर्णित प्रावधानों में से आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों को पद / परीक्षा विशेष हेतु आयोग दवारा यथा - संशोधित किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है जिसे तत्संबंधी पद / परीक्षा विशेष हेतु संशोधित कर प्रावधानित किया जाता है ।

6. प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	शहर	
01	इन्दौर	10	छिंदवाडा	19	नीमच	28	मुरैना	37	श्योपुर	46	बुरहानपुर
02	उज्जैन	11	जबलपुर	20	पन्ना	29	रतलाम	38	सतना	47	डिण्डोरी
03	उमरिया	12	झाबुआ	21	बडवानी	30	राजगढ	39	सागर	48	अनूपपुर
04	कटनी	13	टीकमगढ	22	बालाघाट	31	रायसेन	40	सिवनी	49	अलीराजपुर
05	खण्डवा	14	दतिया	23	बैतूल	32	रीवा	41	सीधी	50	सिंगरोली
06	खरगौन	15	दमोह	24	भिण्ड	33	विदिशा	42	सीहोर	51	आगर मालवा
07	ग्वालियर	16	देवास	25	भोपाल	34	शहडोल	43	हरदा	52	निवाड़ी
08	गुना	17	धार	26	मण्डला	35	शाजापुर	44	होशंगाबाद	53	मऊगंज
09	छतरपुर	18	नरसिंहपुर	27	मंदसौर	36	शिवपुरी	45	अशोक नगर	54	पांढुर्ना
55	मैहर										

<u>शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-</u>

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा । शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- केवल मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु :- अभ्यर्थी अपने गृह जिले का चयन परीक्षा केन्द्र के रूप में करें ।
- मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों हेतु :- परीक्षा केन्द्र आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

3 जिला/ क्षेत्र संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है । अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में (आयोग में तत्संबंध में प्रावधानित नीति अनुसार) पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है ।

4 यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्व न होने पर भी आवेदन किया जाता है और आयोग के संज्ञान में किसी भी स्ततर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्या अर्हताएं पूर्ण न होते हुए भी आवेदन किया गया है तो आवेदकों को आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा । इस हेतु अभ्य/र्थियों की अर्हता संबंधित दस्तायवेजों को आयोग द्वारा चयन के किसी भी स्तर पर निर्धारित तिथि का उल्लेतख कर आमंत्रित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक अर्हता संबंधित दस्तावेज आयोग कार्यालय में प्राप्तव नहीं होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है ।

8.	आयु सीमा:	
	गैर वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	आयु संगणना तिथि	01.01.2026

अधिवार्षिकी आयु : सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभाग द्वारा समय - समय पर जारी अद्यतन अधिसूचना के आधार पर निर्धारित होगी ।

आयुसीमा में देय छूट हेतु परिशिष्ट-। देखें।

9. शारीरिक मापदंड :- गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित है:-

लिंग	ऊंचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णत: फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरुष	168	84	89
महिला	155	अपेक्षित नही	अपेक्षित नही

वर्दीधारी पदों हेतु अग्रमान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदण्डों को पूर्ण करते हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्रमान्यता के आधार पर किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हे पद के अभाव में उनकी अग्रमान्यता के शेष पदों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा ।

10 विनष्टीकरण :- इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएँ/दस्तावेज (घोषित अंतिम चयन परिणाम तथा लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) अंतिम चयन परिणाम की घोषणा तिथि के एक वर्ष पश्चात विनिष्ट कर दी जाएंगी। अतएव इस एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में भी उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे।

विशेष टीप :- प्राय: यह देखा गया है कि अंतिम चयन परीणाम घोषित होने एवं नियुक्ति पश्चात लम्बी अवधि उपरांत भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बिना कोई तथ्य, प्रमाणिकता के आयोग को तथ्य हीन शिकायतें प्रेषित की जाती हैं, जिसमें परीणाम में संशोधन / वरिष्टिता संशोधन एवं अन्य शिकायतें प्रेषित की जाती हैं, कईबार तो अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत भी आयोग से सीधे बिना विभाग के उचित माध्यम से अभ्यावेदन प्रेषित न कर सीधे आयोग को आभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों को बिना किसी पत्राचार के सीधे अमान्य किया जा सकेगा एवं नियुक्त शासकीय सेवकों के द्वारा ऐसा किए जाने पर संबंधित विभाग को विभागीय कार्यवाही संस्थित किए जाने की कार्यवाही हेतु लिखा जा सकेगा ।

11 राज्य सेवा परीक्षा 2026, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए गए हैं ।

12 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

13 संक्रामक रोगों के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

14 परिशिष्ट :-

(1) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट-I

(2) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -II

(3) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ परिशिष्ट-III

(4) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट-IV देखें।

Rakhi

(राखी सहाय)
सचिव

परिशिष्ट -I

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूट

गैर वर्दीधारी पदों हेतु

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

वर्दीधारी पदों हेतु

म.प्र. मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला अभ्यर्थी (अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  स्पष्टीकरण :-

  भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है । अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वर्दीधारी पदों के संदर्भ में यह आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

परिशिष्ट - II

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होगें । यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा ।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियाँ पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें ।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष(2025-2026) का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्व किया जाएगा ।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा ।
7. यदि आवेदक प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा । अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्व किए जाएंगे ।
9. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में

उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।

10 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

11 ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।

12 मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13 साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र में निर्देशित सभी कंडिकाओं का सूक्ष्मता से पालन कर निम्नानुसार प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ तैयार कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यार्थी की स्वयं की रहेगी।

परिशिष्ट प्रपत्र - 01
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
(साक्षात्कार में शामिल होने हेतु दस्तावेजों की सूची)

विज्ञापन क्रमांक:- 29/2025 दिनांक 31.12.2025 परीक्षा का नाम:- राज्य सेवा परीक्षा 2026

आवेदक का नाम :- .... रोल नम्बर :- ....

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संचयी योग
1.	उपस्थिति पत्रक – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
2.	व्यक्तिगत विवरण – 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रति में नम्बररिंग नही करना है।)	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
5.	हाईस्कूल की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
6.	हायर सेकण्डरी की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
7.	स्नातक समस्त वर्षो की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
8.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने एवं किसी सेवा में नहीं होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। (साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज़ भिजवाने की अंतिम	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
9.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति। (प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।)	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
10.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।) <u>म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे)</u>	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
11.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र– 01 मूल प्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
12.	दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
13.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 का वैध ई.डब्ल्यूएस. प्रमाण पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
14.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
15.	**शासकीय सेवक होने की स्थिति में :-** विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न करें। **अशासकीय सेवा में होने की स्थिति में :-** संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
16.	मध्यप्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र – 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
17.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....

	सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति ।		
18.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
19.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति । (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
20.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार पर अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
21.	अन्य दस्तावेज जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहते हैं ।	पृष्ठ क्रमांक .... से .... तक	....
		कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या :-	....

आवेदक के हस्ताक्षर

*** उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट-।।। में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।**

परिशिष्ट -III

राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
   2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
      अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
      ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं ।
   3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं ।
   4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

      फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
      1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
      2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
      3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हो।
      4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
      5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
      6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
   5. <u>ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।</u>
   6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
   7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी । अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
   8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात <u>उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।
      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद ""proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी ""Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
   9. त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.01.2026 से 11.02.2026 तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
      ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/

पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें । आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे ।

11. <u>अत्यावश्यक</u> :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

2 ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 10.01.2026 से दिनांक 09.02.2026 तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 10.01.2026 से दिनांक 11.02.2026 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. <u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः-</u>

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिय रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹250/-	₹ 500/-
विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार किए जा सकेंगे :-	
दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 16.02.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 3000/-
दिनांक 17.02.2026 से दिनांक 01.04.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 25000/-
नोट :- विलम्ब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50/- रहेगा । त्रुटि-सुधार केवल 01.04.2026 तक किया जा सकेगा ।	
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा।	

टीप :-		
	1.	प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा।
	2.	सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के पश्चात् ही प्रदान की जा सकेगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के विनष्टीकरण की निर्धारित अवधि के पूर्व कराया जा सकेगा । किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नहीं की जाएगी।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-672020 तथा 0755-2578801

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

5. <u>ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-</u>

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं <u>www.mponline.gov.in</u> पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान

मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर locateKiosk/CSCsLink देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. परीक्षा दिनांकः- 26.04.2026 (रविवार)

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServicesपर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC M.P. Public Service Commission बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।
Click here to Apply
Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status
Click Here to View Advertisement

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी Click here to Apply को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (अर्थात आवेदन करने की तिथि के) आरंभ होने से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चहिए ।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाए। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगेः-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी चाहे तो स्वंय घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।

8. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और

जानकारियाँ अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सके। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियाँ अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहें। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो । ज्ञानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate_Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएंगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

3. अन्य निर्देश/ जानकारी :-

1 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/ जन्मतिथि/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/ मूल निवासी प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता/ विधवा/ परित्यक्तता/ तलाकशुदा/ भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गयी है । अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदको द्वारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ संलग्न कर आयोग को भेजना आवश्यक होगा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी । मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

2 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा ।

3 आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

4 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए ।

5 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ईं-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी ।

6 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा ।

7 पहचान चिह्न :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें । यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा । ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी ।

8 परीक्षा कक्ष में मोबाइल, केलक्युलेटर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, व्हाइटनर, पेजर, गाड़ी की चाभी एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक

उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

9 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए । इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए । यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग व्दारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

4. <u>आवेदन की अंतिम तिथि:-</u>

<u>ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 है ।</u>

5. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है / उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6. अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नही है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए</u> - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा ।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र</u>- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियाँ। <u>उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा</u>।

<u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</u> श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य) ।

<u>जाति प्रमाण-पत्र</u>- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है । जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आतेः-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे ।

<u>घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>

मैं ———————— आयोग के विज्ञापन क्रमांक <u>29/2025 दिनांक 31.12.2025</u> के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ । मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ

1. मैं ——————पुत्र/पुत्री श्री—————— निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/————जिला ————,मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ । यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं —————जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ ।

दिनांक :- ————————

हस्ताक्षर——————

नाम——————

रोल नंबर ——————

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी

शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुँचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. प्रवेश-पत्र -

01 अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चहिए की परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा यह आयोग द्वारा पात्राकी शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा ।

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त

परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 16.04.2026 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगें। आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे । इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें ।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		
विशेष निर्देशा :- संक्रामक रोगों के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।			

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग व्दारा पहचान चिह्न प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे अभ्यर्थियों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय :-

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि सूचना के अधिकार के तहत उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेंगी।

3. अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत् केवल स्वयं की जानकारी प्रदान की जाएगी ,अन्य अभ्यर्थियों की नहीं ।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है । अभ्यर्थियों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अत: अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें। अग्रमान्यता पत्रक में केवल जिन पदों पर अग्रमान्यता दी गयी है, अभ्यर्थी को उन्ही पदों पर विचारित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा नियत अवधि तक अग्रमान्यता प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में अधिसूचित पदों की तालिका में निर्धारित क्रम में अग्रमान्यता मान्य की जाएगी।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । प्रारूप निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के विज्ञापन क्रमांक 29/2025 दिनांक 31.12.2025 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम..............................

रोल नंबर ....

9 राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

(अ) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

01. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की जानकारी केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in प्रकाशित की जाएगी । अभ्यर्थी को यह सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशित की जाएगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके लघुसूचीकरण के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन-पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लघुसूचीकरण सूचना में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करें ।

03. मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र जमा न करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की जानकारी केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी की जाएगी । अभ्यर्थी को इसकी सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के लघुसूचीकरण की जानकारी के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ प्रकाशित की जाएंगी। लघुसूचीकरण की जानकारी में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे :-

अ आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें । एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों की छायाप्रतियाँ अधोलिखित क्रम में अनिवार्यत: संलग्न करें :-

1 मुख्य परीक्षा का आवेदन-पत्र

2 प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र

3 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ ।

4 मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा-पत्र (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)

5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।

6 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु)

7 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।

8 अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें

9 व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें

10 उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

11 पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति ।

12 अन्य अनुसंगत अभिलेख।

स उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर [परिशिष्ठ- III प्रपत्र- 01 में दर्शाई चेकलिस्ट अनुसार] निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर "राज्य सेवा परीक्षा 2026 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यत: करें।

2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यत: साथ लाएँ ।

03. केवल उन्ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहाँ से कहाँ तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

(ज) केवल साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1 अभ्यर्थियों को केंद्राध्यक्ष द्वारा काली स्याही का Ball Point Pen उपलब्ध कराया जाएगा।

2 गोले भरने के लिए केवल गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।

3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें ।

4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।

5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।

7 ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काली स्याही के बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ व्हाइटनर लगाने अथवा उत्तर बदलने का कोई भी अन्य प्रयास करने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले स्याही के बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले स्याही के पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर ही बाल पाइंट पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काली स्याही के बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (A,B,C,D के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा । आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बाएं से दाएं 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पाँचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पाँचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

रोल नं. चित्र 1

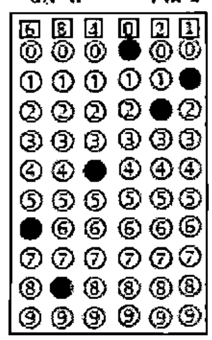

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पूर्व पंहुचना होगा । विलंब होने पर परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी । निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम से कम 30 मीनट पूर्व पहुचना होगा । विलंव होने पर परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं को सकेगी । परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ । इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, व्हाइटनर, पेजर, गाड़ी की चाभी एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है, स्मार्ट वॉच, ब्लुटुथ डिवाइस, किसी भी प्रकार का संचार यंत्र चाहें वह बद हो या चालू सक्त मना है ।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एम.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पांए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले स्याही के बाल पाइंट पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

1 केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।

2 प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।

3 प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-

4 पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।

5 उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।

6 उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए ।

7 प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8 अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

9 अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले सही नहीं भरता है <u>या नहीं भरता है</u> तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं वह अयोग्य माना जाएगा।

10 अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।

11 अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / व्हाइटनर का उपयोग करता है तो अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

- अनुमत वस्तुएं :- परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बॉटल एवं अन्य कोई सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट है, लाने की अनुमति होगी।
- वर्जित वस्तुएं :- अनुमत वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु परीक्षा केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग द्वारा वर्जित वस्तुएं जैसे- पेंसिल, रबर (इरेजर), व्हाइटनर, शॉर्पनर, ब्लेड, स्केल, बैग्स, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैल्कुलेटर, पठन सामग्री, चाबी व एसेसरीज़ जैसे- बालों को बांधने वाले क्लचर / बक्कल, हाथ के बैंड / हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक बैंड / चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बैल्ट, डिजिटल घड़ी, स्मार्ट घड़ी, एनालॉग घड़ी, कफलिंक, धूप का चश्मा, पर्स / वॉलेट, टोपी, ब्लूटूथ, हैंडफी, आई. टी. गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य कोई ऐसे उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लाइटर्स / माचिस बॉक्स, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य कोई कीमती सामान परीक्षा केन्द्र में लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों का परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा।"

<u>विशेष :- अनुचित साधन के प्रकरण कक्ष के वीक्षक तथा केंद्राध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा बनाए जाएंगे।</u>

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 05 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (150/- रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 05 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा । आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ही उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएं।

2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/ चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए निर्धारित पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।

2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को ही जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, केवल उन्हें ही निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीपः- (01) उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

(02) दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।

2 परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर गाड़ी की चाभी तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं।उपरोक्त वर्जित वस्तुए अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता

1 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

आयोग के समस्त विज्ञापनों में निम्नांकित प्रचलित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है :-

अंतिम चयन परिणाम तैयार करते समय मेरिट तैयार करने हेतु प्रावधान -

(1) त्रि-स्तरीय परीक्षाओं के लिए - मुख्य / लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के माध्यम से चयन की स्थिति में -

- लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के अंकों का योग
- उक्त अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अधिकतम वाले अंक
- उक्त अंक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता

(2) दिव्यांगों को विज्ञापित पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, ऐसे दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अन्य वर्गों से न भरते हुए उन्हें शासनादेश के परिपालन में अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों से उतने पद रिक्त् रखे जाने का प्रावधान है ।

(3) महिलाओं / दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों को मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर सर्वप्रथम हॉरिजण्टल आरक्षण के विरूद्ध रिक्तियों में समायोजित किया जाकर गणना में लिये जाने का प्रावधान है ।

(4) शासनादेश (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ - 7-46/99/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देश अनुसार - आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों के विरूद्ध तभी समायोजित किया जावेगा जब वे हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के सामान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त करेंगे) के तहत अनारक्षित वर्गों की सीटों के आवंटन करते समय अनारक्षित वर्गों के साथ-साथ आरक्षित वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है जो अनारक्षित वर्गों के सामान आयु संबंधी / अंकों संबंधी किसी भी छूट / रियायत का लाभ न लेते हुए हर प्रकार से अनाक्षित वर्ग के समान पात्रता धारित करते हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को मेंरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित वर्गों की सीटों में समायोजित किए जाने का प्रावधान है ।

(5) इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों जिन्होंने आरक्षण संबंधी आयु/अंकों की रियायत संबंधी लाभ परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्राप्त करते हुए मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उन्हें आरक्षित वर्गों की सीटों पर ही चयनित किए जाने का प्रावधान है ।

(6) राज्य सेवा परीक्षा / राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा / राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों से अग्रमान्यता पत्रक भरवाएं जाते हैं, में अभ्यर्थी द्वारा दी गई पदों की अग्रमान्यता के आधार पर मेंरिट गुणानुक्रम व अग्रमान्यता क्रम में से किसी एक पद पर मुख्य सूची में चयनित किए जाने एवं शेष अग्रमान्यताओं में से पूर्ववृर्ती /पात्रतानुसार किसी एक पद की अनुपूरक सूची में चयनित किए जाने का प्रावधान है ।

(7) म.प्र. की बाहर की महिला / भू.पू.सै. / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग मान्य करते हुए अनारक्षित ओपन पदों पर विचारित किए जाने का प्रावधान है ।

(8) माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्णय के माध्यम से सम्मिलित अभ्यर्थियो को अंतिम चयन परिणाम में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखते हुए उनके अंतिम चयन परिणाम एवं प्राप्तांकों की जानकारी रोकी जाकर गोपनीय रखी जाती है जिसे माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात घोषित किए जाने का प्रावधान है ।

(9) अनुपूरक सूची का प्रावधान विज्ञापित पदों का न्यूनतम 02 एवं अधिकतम 25 प्रतिशत तक की सीमा में वर्गवार वर्टिकल ओपन एवं हॉरिजेण्टल वर्गों के लिए प्रथक - प्रथक निर्धारित है तथा दिव्यांग जन का भी उक्तानुसार अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुपूरक सूची का प्रावधान है । किसी वर्ग में एक से अधिक पद है तो उक्त प्रावधान प्रावधानित है अन्यथा विज्ञापित पद संख्या 01 होने पर अनुपूरक सूची 01 ही रखे जाने का प्रावधान है जो कि विज्ञापित पद संख्या से अधिक नहीं हो सकती है ।

(10) उपरोक्त वर्णित प्रावधानों में से आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों को पद / परीक्षा विशेष हेतु आयोग दवारा यथा - संशोधित किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है जिसे तत्संबंधी पद / परीक्षा विशेष हेतु संशोधित कर प्रावधानित किया जाता है ।